रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2004 (कार्तिक 22, 1926)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2004 (KARTIKA 22, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 18 अक्तूबर 2004

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसरण में जून 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, सूची तत्काल महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
	मुंबई फोर्ट सर्कल नेशनल डिफेन्स गोल्ड बॉण्ड 1980 "बी" सिरीज				
बी.बाई. 014051	826 ग्राम स्वर्ण	यशवन्त एम. शाह (मृत)	10वां साल	राजेन्द्र-वाय शाह	महा प्रबंधक के दिनांक 05.08.04 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं. 77 दिनांक 6.8.2004
बी.बाई. 014052	125 ग्राम स्वर्ण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
	नई दिल्ली सर्कल 9% राहत बॉंड 1999				
डी. एच. 001780	रु. 25,000/-	बी. एम. सक्सेना		बी. एम. सक्सेना	पीडीओ/डीटी/एल. एन./3/2004 दिनांक 02.08.2004
	सूची "ख" पटना सर्कल 10% राहत बंधपत्र 1995				
पीटी-000086 जी.पी.एन.सी.	रु. 2,27,000/-	सुरेश चन्द्र रे	16.03.1996	श्रीमती अशोका रे	17.03.2004
	मुंबई फोर्ट सर्कल 3% कनवर्सन ऋण 1946				
बी.बाई. 419320	रु. 4,000/-	रनजीत जे. पी. ठक्कर	प्रतिभूति पर 59वें अर्ध वर्षीय तक ब्याज दिया गया है	रनजीत जे. पी. ठक्कर	महा प्रबंधक के दिनांक 16.7.2004 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी संख्या 45 दिनांक 17.7.2004
	कानपुर सर्कल 10% राहत पत्र 1995 (असंचयी)				
के. एन. 001323	रु. 3,00,000/-	राजेन्द्रनाथ मदन एवं वीरा हुसैन (या उत्तर-जीवी) (राजेन्द्र नाथ मदन-मृत)	17.01.1998	वीरा हुसैन (उत्तरजीवी)	महा प्रबंधक का आदेश दिनांक 10.7.2004 (डायरी सं. आई. आर. 142/80 दिनांक 19.7.04)
	कोलकाता सर्कल 9.50% ऋण 2008				
सी.ए. 000071	रु. 1,400	कैनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाईल सं. आई-2551 महा प्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एल.सी.ओ. सं. 154/03-04 दिनांक 06.04.04)

1	2	3	4	5	6
			10% ऋण 2014		
सी.ए. 001988	रु. 5,000/-	केनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाईल सं. आई-2551 महा प्रबंधक के दिनांक 06.04.04 का आदेश (एल.सी.ओ. सं. 154/03-04 दिनांक 06.04.04
सी.ए. 001992	रु. 4,100/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
			11.50% ऋण 2015		
2015सी.ए. 000290	रु. 700/-	केनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाईल सं. आई-2551 महा प्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एल.सी.ओ. सं. 154/03-04 दिनांक 06.04.04)
सी.ए. 000311	रु. 5,800/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सी.ए. 000331	रु. 4,600/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सी.ए. 000291	रु. 3,300/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सी.ए. 000960	रु. 25,000/-	केनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाईल सं. आई-2551 महा प्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एल.सी.ओ. सं. 154/03-04 दिनांक 06.04.04)
			10.50% ऋण 2014		
सी.ए. 001168	रु. 35,000/-	केनरा बैंक	28.10.90 तक का ब्याज भुगतान किया गया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाईल सं. आई-2551 महा प्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एल.सी.ओ. सं. 154/03-04 दिनांक 06.04.04)
सी.ए. 001169	रु. 35,000/-	-वही-	28.10.91 तक का ब्याज भुगतान किया गया	वही-	वही-

ए. एस. मोहिनानी
सहायक प्रबंधक

बैंक ऑफ इण्डिया

प्रधान कार्यालय

मुंबई, दिनांक 05 अक्तूबर 2004

क्रं. आईएल 2004-05 - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक** एवं प्रारंभ :-

(1) ये विनियम बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) **(संशोधन)** विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम "सरकारी राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम17 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17 : अपील

(1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में विनिर्दिष्ट उस पर लगाए गए किन्ही दण्डों के विरूद्ध या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबनादेश के विरूद्ध, अपील प्राधिकारी को आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, अपील प्रस्तुत कर सकता है।

परंतु यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति अपीलकर्ता द्वारा उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिनके आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो। इस अपील में पूरी विवरण-सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपील अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो, वह प्राधिकारी अपील की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिनों के भीतर अपनी टिप्पणि और मामले से संबंधित रिपोर्ट के साथ अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

(4) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, उस प्राधिकारी से उस मामले पर टिप्पणियाँ एवं रिकॉर्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या निलंबनादेश / निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या दण्ड बहुत अधिक अथवा अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दण्ड / निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, उसे कम करने या उसे रद्द करने का आदेश पारित कर सकता हैं या मामले को उस प्राधिकारी को जिसने दण्ड लगाया था या किसी अन्य अधिकारी को मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसे निदेशों के साथ भेज सकता है जो वह उचित समझे ।

परंतु ,

(i) यदि अपील प्राधिकारी द्वारा दण्ड में प्रस्तावित वृद्धि विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) में विनिर्दिष्ट घोर दण्ड है और विनियम 6 में किए गए प्रावधानों के अनुसार मामले में पहले जाँच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी यह निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले में ऐसी जाँच की जाए और इसके बाद वह जाँच के रिकार्ड पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझेगा।

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेते है परंतु विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार पहले जाँच की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी संबंधित अधिकारी कर्मचारी को एक कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि उसके विरूद्ध बढ़ाया गया दण्ड उन पर क्यों न लगाया जाए और संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि कोई अभ्यावेदन दिया गया हो तो उस पर विचार करने के बाद अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :

परंतु,

इस विनियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से सम्बंधित हों और जहाँ मामले की जाँच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध लघु / घोर दण्ड कार्यवाही, आरंभ की गई हो।

(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों के निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। "

(डी.आर.हरनागले)
उप-महाप्रबंधक

टिप्पणी -

बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पूर्व में किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्रं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	12	23.03.2002
2.	33	18.08.2001
3.	25	23.06.2001
4.	34	19.08.2000
5.	46	15.11.1997
6.	23	25.01.1997
7.	47	23.11.1996
8.	43	22.10.1988

पंजाब एंड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

मुख्य कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 2004

संख्या पी.एस.बी./डी.ए.सी./2004 — बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40)* की धारा 12 की उप–धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** : (1) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम 'सरकारी राजपत्र' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17 अपील: (1) " — अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परंतु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) — अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और वह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) — निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकॉर्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) — निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत है या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दण्ड/निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परन्तु,

(I) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जाँच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जाँच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जाँच के रिकॉर्ड पर विचार—विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा :

(II) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जाँच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) — अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :

परंतु, इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से सम्बन्धित हों और जहाँ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जाँच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(पी.के. मारवाह)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

टिप्पणी : पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
---	--- शून्य---	

यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कार्मिक विभाग

कोलकाता-700001, दिनांक 20 सितंबर 2004

सं. ओडीएआर/1/2004। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में पुन: संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : (1) ये विनियम यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में विनियम 17 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

" 17. अपील : (1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दंड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परंतु, अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को जो अपील प्रस्तुत की जाएगी, उसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में सभी महत्वपूर्ण विवरण एवं दलीलें होंगी, जिनपर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकार्ड के साथ उसे अपील प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किया गया है उससे मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या निलंबन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या क्या दंड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दंड/निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि

करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित , जिस अधिकारी ने दंड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परंतु यह कि

(i) यदि बढ़ाया हुआ दंड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में निर्दिष्ट कोई बड़ा दंड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार इस मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निर्देश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जाए और उसके बाद जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और उचित समझा गया आदेश पारित करेगा।

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दंड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दंड उसपर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा; परंतु इस विनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित होंगे और जहां अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दंडात्मक कार्रवाई मामले की जांच कर रही पुलिस य केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

(6) नब्बे दिनों से अधिक समय तक लंबित रहने वाले मामलों की समीक्षा अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से की जाएगी और मामलों को निपटाए जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(वी. वी. सिंह)
महाप्रबंधक
(कार्मिक)

पाद टिप्पणी : यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :-

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	ओडीएआर/1/1997	22/08/1997
2.	ओडीएआर/1/2000	20/07/2000
3.	ओडीएआर/2/2000	08/08/2000
4.	ओडीएआर/3/2000	16/12/2000
5.	ओडीएआर/1/2002	08/01/2002

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 27 अक्तूबर 2004

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2132/04/टीएन/1039

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की ति.	सह. की तिथी
1.	टीएन/सीबी/21254	मे० सन्धा इन्जीनियरिंग वर्क्स	01.03.87	21.02.87
2.	टीएन/सीबी/28928	मे० इलैक्ट्रो मेक इन्डस्ट्रीज	16.11.95	16.11.95
3.	टीएन/वीएल/38020	मे० इलैन्गो आयल रिफाइनर्स	08.11.96	08.11.96
4.	टीएन/वीएल/38216	मे० ऑर्गेनिक मेन्योर मिल्स प्रा. लि.	01.02.98	31.01.98
5.	टीएन/वीएल/38641	मे० अथीकुपम एम.पी.सी.एस	26.07.00	26.07.00
6.	टीएन/वीएल/38643	मे० महामधुपुरम एम.पी.सी.एस	11.08.00	11.08.00
7.	टीएन/वीएल/38649	मे० उत्तुर पी.ए.सी.बी	15.02.01	15.02.01
8.	टीएन/वीएल/38673	मे० गोविन्दापुरम पी.ए.सी.बी	26.06.01	26.06.01
9.	टीएन/वीएल/38686	मे०वेलर डि० असिस्टेंट एग्री. ऑफिसर्स एंड स्टाफ आफ एग्री. को-ओ. थ्रि. एंड क्रेडिट सोसाईटी लि०	04.10.01	04.10.01
10.	टीएन/वीएल/38731	मे० किलारासामपट्ट एम.पी.सी.एस	08.10.01	08.10.01
11.	टीएन/वीएल/38813	मे०गंगापुरम एम.पी.सी.एस	28.04.03	28.04.03
12.	टीएन/वीएल/38814	मे० डी.पी.पलायम एम.पी.सी.एस	28.04.03	28.04.03
13.	टीएन/वीएल/38816	मे० कोथुर एम.पी.सी.एस	28.04.03	28.04.03
14.	टीएन/वीएल/38818	मे० अनुपु एम.पी.सी.एस	28.04.03	28.04.03
15.	टीएन/वीएल/38819	मे० गुडलावारीपल्ली एम.पी.सी.एस	28.04.03	28.04.03
16.	टीएन/वीएल/38825	मे० बोम्बे अन्न्दा भवन	15.04.03	15.04.03
17.	टीएन/वीएल/38877	मे० स्टूडेंट पार्टनरशिप वर्ल्ड वाईड इन्डीया प्रोजेक्ट ट्रस्ट	02.01.04	02.01.04
18.	टीएन/वीएल/38850	मे० साउथ इन्डिया टैनर्स एंड फिनिशर्स एसो.	01.08.03	28.07.03
19.	टीएन/टीआई/55013	मे० अनीथा इन्जीनियरिंग कन्ट्रैक्टर	22.01.03	22.01.03
20.	टीएन/एम,डी/57065	मे० आर.के.21, विरुदुनगर डिस्ट० गवर्नमेंट डी ग्रुप एंड पब्लिक सेवेंटस को-ओ० थ्रि. एण्ड क्रेडिट सोसाईटी लि०	01.06.04	01.06.04

21.	टीएन/एमडी/57073	मै0 दि. प्राईवेट एम्पलायमेंट	01.06.04	01.06.04
22	टीएन/वीएल/38671	मै0 टेल्को प्रनामबट टेनरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट क0 लि0	02.08.01	02.08.01
23.	टीएन/वीएल/38742	मै0 कमलापुरम एम.पी.सी.एस	01.05.02	01.02.02
24.	टीएन/वीएल/38815	मै0 पुटावारीपल्ली एम.पी.सी.एस	28.04.03	28.04.03
25.	टीएन/वीएल/38864	मै0 पोनरी एम.पी.सी.एस	25.09.03	25.09.03
26.	टीएन/वीएल/38646	मै0 पोम्बूर एम.पी.सी.एस.	22.01.01	22.01.01
27	टीएन/वीएल/38743	मै0 पुतारीवाला साई वुमेन एमपीसीएस	31.05.02	31.05.02
28.	टीएन/वीएल/38757	मै0 पानामुडंगी एमपीसीएस	01.02.02	01.02.02
29	टीएन/वीएल/38817	मै0 अरीमरीपट्टी एमपीसीएस	28.04.03	28.04.03

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभाव तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

[एस. आर. जोशी]
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त [मुख्या0]

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 18th October 2004

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended August 2004 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name of the claimant for duplicate	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		MUMBAI (FORT) CIRCLE National Defence Gold Bond 1980 (B-Series)			
BY 014051	826 gms gold	Yeshwant N. Shah (deceased)	10th Annual	Rajendra Y, Shah	G.M.'s order dated 5-8-2004 C.O. Diary No. 77 Dated 6.8.2004
BY 014052	125 gms gold	-do-	-do-	-do-	-do-
		NEW DELHI CIRCLE 9% RELIEF BOND 1999			
DH 001780	Rs. 25,000	V. M. Saksena		V. M. Saksena	PDO/DT/LN-3/2004 Dated 2-8-2004
		List "B"			
		KOLKATA CIRCLE 9.50% Loan 2008			
CA 000071	Rs. 1400/-	Canara Bank	No Interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004)
		11.50% Loan 2015			
CA 000290	Rs. 700/-	Canara Bank	No Interest paid since issue	The Sahabad Investment and Tradera Ltd. Provident fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004)
CA 000311	Rs. 5,800/-	-do-	-do-	-do-	-do-
		KOLKATA CIRCLE 10.50% Loan 2014			
CA 001168	Rs. 35,000/-	Canara Bank	Interest paid upto 28.10.90	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004)
CA 001169	Rs. 35,000/-	-do-	Interest paid upto 28.10.91	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6
			KOLKATA CIRCLE 11.50% Loan 2015		
CA 000331	Rs. 4,600/-	Canara Bank	No Interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004)
CA 000291	Rs. 3,300/-	-do-	-do-	-do-	-do-
			10% Loan 2014		
CA 0001988	Rs. 5000/-	Canara Bank	No Interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004)
CA 001992	Rs. 4100/-	-do-	-do-	-do-	-do-
			11.50% Loan 2015		
CA 000960	Rs. 25000/-	Canara Bank	No Interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004)
			PATNA CIRCLE 10% Relief Bond 1995		
PT-000086 G.P.N.C	Rs. 2,27,000/-	Suresh Chandra Ray	16.03.1996	Smt. Asoka Ray	17.03.2004
			MUMBAI (FORT) CIRCLE 3% Conversion Loan 1946		
BY 419320	Rs. 4,000/-	Ranjit J. P. Thakkar	Interest on the security has been paid for 59 half years	Ranjit J.P. Thakkar	General Manager's Order dated 16.7.2004 Central Office Diary No. 45 dated 17.7.2004
			KANPUR CIRCLE 10% Relief Bonds 1995 (NC)		
KN-001323	Rs. 3,00,000/-	Rajendra Nath Madan (expired) and Vera Husain (E or S)	17.01.1998	Vera Husain (Survivor)	General Manager's Order dated 10.7.04 (Dy. No. IR 142/ 80 dated 19th July 2004)

A. S. MOHINANI
Astt. Manager

BANK OF INDIA
HEAD OFFICE

Mumbai, the 5th October 2004

No. IL:2004-05 -- In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. **Short title and commencement:**

(1) These Regulations may be called Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely: -

"17 - Appeal

(1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate

orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty / suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that:

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate Authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and the reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

(D.R. Harnagle)
Deputy General Manager

Foot Note: Earlier amendments to Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below:

S. No.	Notification No.	Date
01.	12	23/03/2002
02.	33	18/08/2001
03.	25	23/08/2001
04.	34	19/08/2000
05.	46	15/11/1997
06.	23	25/01/1997
07.	47	23/11/1996
08.	43	22/10/1988

PUNJAB & SIND BANK
HEAD OFFICE

New Delhi, the 18th October 2004

No. PSB/DAC/2004 - In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981, namely : -

1. **Short title and commencement** : (1) These Regulations may be called the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely : -

"17 Appeal : (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12 :

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/ suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f),(g),(h),(i) & (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) if the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate Authority shall give a show-cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant :-

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

(V.K.MARWAH)
DEPUTY GENERAL MANAGER (P)

Foot Note : Earlier amendments to the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981 were published in the Gazette as per details given below :

S.NO.	Notification No.	Date
	--- NIL ---	

UCO BANK
HEAD OFFICE

Kolkata-700001, the 20th September 2004

No. ODAR/1/2004. In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act. 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. **Short title and commencement:** (1) These Regulations may be called UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely:-

"17. Appeal: (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12;

Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of

suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that:

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant;

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

(V.P. Singh)
General Manager
(Personnel)

Foot Note: Earlier amendments to the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below:-

S. No.	Notification No.	Date
1.	ODAR/1/97	22/8/1997
2.	ODAR/1/2000	20/7/2000
3.	ODAR/2/2000	8/8/2000
4.	ODAR/3/2000	16/12/2000
5.	ODAR/1/2002	8/1/2002

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION V DELHI-66
HEAD OFFICE

CPFC-1(4)2132/04/TN/1039 New Delhi-66, the 27th October 2004

S.O._____ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	TN/CB/21254	M/s Santha Engineering Works	01.03.1987	21.02.1987
2.	TN/CB/28928	M/s Electro Mec Industries	16.11.1995	16.11.1995
3.	TN/VL/38020	M/s Elango Oil Refiners	08.11.1996	08.11.1996
4.	TN/VL/38216	M/s Organic Manure Mills Pvt. Ltd.	01.02.1998	31.01.1998
5.	TN/VL/38641	M/s Athikuppam MPCS	26.07.2000	26.07.2000
6.	TN/VL/38643	M/s Mahamadhupuram MPCS	11.08.2000	11.08.2000
7.	TN/VL/38649	M/s Usoor PACB	15.02.2001	15.02.2001
8.	TN/VL/38673	M/s Govindapuram PACB	26.06.2001	26.06.2001
9.	TN/VL/38686	M/s Vellore Dist. Assistant Agriculture Officers & Staff of Agriculture Co-op Thrift & Credit Society Ltd.	04.10.2001	04.10.2001
10.	TN/VL/38731	M/s Kilarasampattu MPCS	08.10.2001	08.10.2001
11.	TN/VL/38813	M/s Gangapuram MPCS	28.04.2003	28.04.2003
12.	TN/VL/38814	M/s D.P.Palayam MPCS	28.04.2003	28.04.2003
13.	TN/VL/38816	M/s Kothur MPCS	28.04.2003	28.04.2003
14.	TN/VL/38818	M/s Anuppu MPCS	28.04.2003	28.04.2003
15.	TN/VL/38819	M/s Gudlavari Palli MPCS	28.04.2003	28.04.2003
16.	TN/VL/38825	M/s Bombay Ananda Bhawan	15.04.2003	15.04.2003
17.	TN/VL/38877	M/s Student Partnership World Wide India Project Trust	02.01.2004	02.01.2004
18.	TN/VL/38850	M/s South India Tanners & Dealers Association	01.08.2003	28.07.2003
19.	TN/TI/55013	M/s Anitha Engineering Contractor	22.01.2003	22.01.2003
20.	TN/MD/57065	M/s R.K.21,Viruthunagar Dist Govt. "D" Group and Public Servants Co-op Thrift and Credit Society Ltd.	01.06.2004	01.06.2004
21.	TN/MD/57073	M/s The Private Employment	01.06.2004	01.06.2004
22.	TN/VL/38671	M/s Talco Pernambut Tannery Effluent Treatment Co.Ltd.	02.08.2001	02.08.2001
23.	TN/VL/38742	M/s Kamlapuram MPCS	01.05.2002	01.02.2002
24.	TN/VL/38815	M/s Puttavari Palli MPCS	28.04.2003	28.04.2003
25.	TN/VL/38864	M/s Ponneri MPCS	25.09.2003	25.09.2003
26.	TN/VL/38646	M/s Pogalur MPCS	22.01.2001	22.01.2001
27.	TN/VL/38743	M/s Poosarivalasai Woman MPCS	31.05.2002	31.05.2002

28.	TN/VL/38757	M/s Panamudangi MPCS	01.02.2002	01.02.2002
29.	TN/VL/38817	M/s Arigarripalli MPCS	28.04.2003	28.04.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

[S.R.Joshi]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004